SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 24.03.2023 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 24..03.2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 21.03.2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **24-03-2023** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाइटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	**मैसर्स डिजिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., फ्लैट नं. 92–सी, ब्लॉक–डी4, उद्योग विहार, सैक्ट–82, नोएडा, जिला जी बी नगर, यू.पी. – 201304** **मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि.,** प्लॉट नं. 110, ज्ञान खंड –1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010	**₹ 7,40,44,363/- दिनांक 06-08-2021 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार**	फ्री होल्ड सम्पत्ति जोकि पॉकेट – एफ, ईडीएम माल के पीछे, कौशाम्बी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 854.36 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 752.00 लाख ₹ 75.20 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डी एस बिष्ट मो. 9971846693
			रिहायशी लीज होल्ड सम्पत्ति फ्लैट नं. 141सी, द्वितीय तल, एक्सप्रेस व्यू अपाटमेंट, सैक्टर–93, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 100.62 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री शैलेश आनंदानी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 46.00 लाख ₹ 4.60 लाख ₹ 0.10 लाख	
			रिहायशी लीज होल्ड सम्पत्ति फ्लैट नं. 92सी, द्वितीय तल, उद्योग विहार, ब्लॉक–डी4, सैक्टर–82, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 54.87 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री शैलेश आनंदानी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 28.00 लाख ₹ 2.80 लाख ₹ 0.10 लाख	

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी हैः मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. **033-40602403, 033-40609118, 033-40645316** पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी र्ग राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : **06-03-2023**, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 24.03.2023 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 24.03.2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 21.03.2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **24-03-2023** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाइटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	**मैसर्स देवांशी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.,** मकान नं. 132, वीर नगर, जैन कॉलोनी, नई दिल्ली – 110007 **श्री समीर जैन और श्रीमती सुभाषिनी जैन, दोनों निवासीः** 132, वीर नगर, जैन कॉलोनी, नई दिल्ली – 110007	**₹ 8,44,66,207.86 (रु. आठ करोड़ चौवालीस लाख छियासठ हजार दो सौ सात और पैसे छियासी मात्र) दिनांक 27-06-2022 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार**	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति नं. 132ए, (प्लॉट नं. 132 का पूर्वी साइड निर्मित हिस्सा), सधौरा कलां, वीर नगर, जैन कॉलोनी, दिल्ली –110007 में स्थित, क्षेत्रफल 115.25 वर्ग गज **(भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)**	₹ 360.00 लाख ₹ 36.00 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी हैः मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. **033-40602403, 033-40609118, 033-40645316** पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी र्ग राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : **06-03-2023**, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I, रिटेल

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोनः 25419177, 25412977 ई–मेलः sbi.05169@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नांकित **कर्जदार को निम्नलिखित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था,** जिसमें सूचना मे उल्लेखित **बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे विफल रहे है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा **निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।**

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार, गारंटरों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक,** द्वारा **निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकस्मिक व्यय एवं प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

खाता / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर/पार्टनर्स/ मालिक का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
श्रीमती रेणु गुप्ता और श्री सौरभ सिंघल निवासीः फ्लैट नं. 103, प्रथम तल, ब्लॉक–03, सेक्टर –47, यूनिवर्ल्ड गार्डन, गुरुग्राम, हरियाणा	**सम्पत्ति पर मालिकाना हकः श्रीमती रेणु गुप्ता और श्री सौरभ सिंघल**	रिहायशी फ्लैट नं. 103, प्रथम तल, ब्लॉक–03, सैक्टर–47, यूनिवर्ल्ड गार्डन्स, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित	29-11-2022	06-03-2023	रु. 72,94,522.00 (रू. बहत्तर लाख चौरान्वे हजार पाँच सौ बाईस मात्र) दिनांक 08.11.2022 को और भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि

दिनांक : 06–03–2023, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

---

indianexpress.com
I arrive at a conclusion not an assumption.
Inform your opinion with detailed analysis.
The Indian Express.
For the Indian Intelligent.
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036
शाखा कार्यालय इकाई : 8, संत नगर, नई दिल्ली–110065

ई–नीलामी विक्रय सूचना

ई–नीलामी विक्रय सूचना, सरफॉएसि अधिनियम के अतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियां अब निगमीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. ('पीएचएफएल') के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका अधिग्रहण सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया था। अब इन्हें निम्न वर्णित नियमों के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विक्रय प्रयोज्य ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि के साथ पीएचएफएल की बकाया देय राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। निम्न वर्णित संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी हैं जहां हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथा बिना उपाय आधार" पर बेचा जायेगा।:

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.poonawallahousing.com** में दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	धरोज (आरक्ष की 10:) (एफ)	की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	तिथि एवं समय (आई)	तिथि और समय (जे)	भारग्रस्तताएं/न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
ऋण सं.: **HL/0399/H/17/10 0065 एवं HM/0245/H/16/10 0088** शकुंत (उधारकर्ता) बिंदिया (सह–उधारकर्ता)	**सूचना तिथि: 20.11.2021 एवं 23.11.2021, कुल देयराशि: रु. 5,45,831/– (रुपये पांच लाख पैंतालिस हजार आठ सौ इकतीस मात्र) जो 19.11.2021 के अनुसार वसूलीकरण तक 14.55 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित भुगतानयोग्य है। तथा रु. 12,51,161/– (रुपये बारह लाख इक्यावन हजार एक सौ इकसठ मात्र) जो 20.11.2021 के अनुसार वसूलीकरण तक 15.05 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित भुगतानयोग्य है।**	भौतिक	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 188 पर, ग्राम–नागला, फिरोजमोहनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जनपद–गाजियाबाद, गाजियाबाद, पिन–201003 में स्थित है।	**रु. 27,42,075/- (रुपये सत्ताईस लाख बयालिस हजार पिचहत्तर मात्र)**	**रु. 2,74,207.5/- (रुपये दो लाख चवहत्तर हजार दो सौ सात एवं पचास पैसे मात्र)**	**23.03.2023 को 5 बजे से पूर्व**	**रु. 10,000/–**	**17.03.2023 को (11 बजे–4 बजे)**	**24.03.2023 को (11 बजे–2 बजे)**	शून्य

क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पीएचएफएल शाखा और नीलामीगत संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले उक्त से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, जो संपत्ति से जुड़ा हो, को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा उनका भुगतान वहन किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अपेक्षित है कि वे निम्न वर्णित नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स नैक्सेन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता– # 203, द्वितीय तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 व 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम 122 006 (संपर्क नं.: 91 93100 29933/91 98100 29926/91 124 4 233 933), संपर्क क्लाइंट सर्विस डिलीवरी (सीएसडी) सेल नं. (मो.) 91 93100 29933/91 98100 29926 (दूर.) 91 124 4 233 933, ईमेल आईडी : CSD@DisposalHub.Com के वेब पोर्टल https://DisposalHub.Com पर ई–बोलीदान और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वयं को अनिवार्य रूप में पंजीकृत कर लें तथा अग्रिम रूप में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को 23/03/2023 तक 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित बयाना जमा राशि (ईएमडी) की राशि खाता संख्या 000651000460, आईएफएससी कोड **ICIC0000006**, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001 में जमा करनी होगी। और वेब पोर्टल पंजीकरण के उपरांत इच्छुक बोलीदाता/खरीदार से अपेक्षा है कि अपलोडकृत, ई–मेलकृत बोली प्रलेखों की प्रतियां प्राप्त करें तथा उन्हें स्वयं–प्रमाणित करके प्राधिकृत अधिकारी, श्री वीरेंद्र सिंह, पता–8 संत नगर, नई दिल्ली 110065 मोबाइल नं. 91 9643514836, ई–मेल आईडी **birander.singh@poonawallahousing.com** को भेजें।

स्थान : गाजियाबाद, उ.प्र.
दिनांक : 07–03–2023

प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 23.03.2023 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 23.03.2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 21.03.2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **23-03-2023** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाइटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	**मैसर्स विट्ठी ऑटो इंजीनियरिंग प्रा. लि.,** जी–1 595, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान **श्री सुरेश कुमार त्यागी पुत्र श्री राम प्रसाद त्यागी,** मकान नंबर 722, सेक्टर 15, गुड़गांव, हरियाणा	**₹ 7,98,02,344.00 (रु. सात करोड़ अठ्ठान्वे लाख दो हजार तीन सौ चौवालीस मात्र) दिनांक 20.01.2016 तक**	**मकान नं. 722, सेक्टर–15, पार्ट II, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सुरेश कुमार त्यागी पुत्र श्री राम प्रसाद त्यागी के नाम पर है। सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।**	₹ 666.00 लाख ₹ 66.00 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी हैः मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. **033-40602403, 033-40609118, 033-40645316** पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी र्ग राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : **06-03-2023**, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 10.04.2023 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 10.04.2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 07.04.2023 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **10-04-2023** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाइटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नही की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	**मैसर्स श्री बाला जी ऑटोमोबाइल्स (प्रोपराईटर अतुल वशिष्ठ),** शिकारपुर बाईपास तिराहा, शिकारपुर रोड, बुलंदशहर–203001, **औरः** ग्राम अनवरपुर, पीओ अनवरपुर बुलंदशहर 203001	**₹ 30,98,235.00 (रु. तीस लाख अठ्ठान्वे हजार दो सौ पैतीस मात्र) दिनांक 15.01.2021 तक**	**प्लॉट क्षेत्रफल 213.75 वर्ग गज, 178.82 वर्ग मी. के बराबर, (खेत सं. 1991 का भाग) कस्बा बारां (शिकारपुर रोड तिराहा से शिव पेट्रोल पंप) परगना बारां, तहसील एवं जिला बुलंदशहर में स्थित, यह सम्पत्ति अतुल वशिष्ठ के नाम पर है। सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।**	₹ 51.00 लाख ₹ 5.10 लाख ₹ 0.10 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी हैः मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. **033-40602403, 033-40609118, 033-40645316** पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी र्ग राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : **06-03-2023**, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)